अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

का.आ. 357(अ).— **जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 30 नवम्बर, 1992 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 878 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने जानकीदेवी बजाज ग्राम विकास संस्था, 55/4 यूनिवर्सिटी रोड, औंध, पूणे-411007 द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1993-1994 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था ; जिसे बाद में दिनांक 4 अप्रैल, 1995 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0293 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, तथा जिसे दिनांक 20 मई, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 438 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनः आगे बढ़ाया गया था तथा जिसे 180.80 लाख रूपए की अनुमोदित लागत को बढ़ाकर 298.60 लाख रूपए करने के लिए दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 319 (अ0) द्वारा पुनः संशोधित किया गया था,**

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए 298.60 लाख रूपए की अनुमोदित लागत को संशोधित करके 451.46 लाख रूपए करने की और सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-

(क) जानकीदेवी बजाज ग्राम विकास संस्था, 55/4 यूनिवर्सिटी रोड, औंध, पूणे-4110007 द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना या स्कीम को विनिर्दिष्ट करती है ; तथा,

(ख) दिनांक 30 नवम्बर, 1992 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 878 (अ0) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 02 के सामने कॉलम (4) जो लागत की अधिकतम राशि, जो धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जानी है, से संबंधित है, इसमें अक्षर, अंक, तथा शब्द " 298.00 लाख रूपए" के स्थान पर अक्षर अंक तथा शब्द " 451.46 लाख रूपए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 72-2003/फा. सं. एन.सी.-166/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)